"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 16, शक 1937

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक/एफ15-2/15-2/2015/7.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. शब्द तथा चिन्ह "अध्याय पांच-क सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचन के संचालन हेतु प्रक्रिया" के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "अध्याय पांच-कक सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचन के संचालन हेतु प्रक्रिया" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अंक, शब्द, चिन्ह तथा विराम चिन्ह "49-ग. निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची तैयार किया जाना " के स्थान पर, अंक, शब्द, चिन्ह तथा विराम चिन्ह "49-गग. निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची तैयार किया जाना "प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक/एफ 15-2/15-2/2015/7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-2/15-2/2015/7, दिनांक 07-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Naya Raipur, the 7th December 2015

NOTIFICATION

No./F 15-2/15-2/2015/7. — In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For the words and symbols "Chapter V-A Procedure for conduct of elections in Cooperative Societies", the words and symbols Chapter V-AA "Procedure for conduct of elections in Cooperative Societies" shall be substituted.

2. For the figure, words, symbols and punctuation "49-C. Preparation of list of members for election", the figure, words, symbols and punctuation "49-CC. Preparation of list of members for election" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.